

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455] No. 455] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त ७, २०१९/श्रावण १६, १९४१

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2019/SHRAVANA 16, 1941

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 564(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय, निदेशक, भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय, निदेशक भर्ती नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - **4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

4093 GI/2019 (1)

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- **5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन
				पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक	*1 (2019)	साधारण केंद्रीय सेवा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-	चयन
	*(कार्यभार के आधार	समूह 'क', राजपत्रित,	13	
	पर परिवर्तन किया जा	अनुसचिवीय	(123100 –	
	सकता है।)		215900/-रु.)	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	शून्य	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतताः

(11)

प्रोन्नति :- ऐसे उप सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रुपये) के उप सचिव जिन्होंने उप सचिव और अवर सचिव स्तर 11 (67700-208700 रूपये) की श्रेणियों में 10 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है, जिसमें से उप सचिव के ग्रेड में 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा होनी चाहिए।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:-

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और
- (ख) जिनके पास दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है जिसमें संसदीय और विधायी कृत्यों में पांच वर्ष का अनुभव सिम्मिलित है। **टिप्पण** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अघ्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय - सदस्य	प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 3(24)/2016-प्रशासन] डॉ. सत्य प्रकाश, संयक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2019

- **G.S.R. 564(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Parliamentary Affairs, Director Recruitment Rules, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Ministry of Parliamentary Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Parliamentary Affairs, Director Recruitment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed hereto.
- 3. Method of recruitment, age limit and qualification, etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.** No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director	1*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial	Level 13 in the Pay Matrix (Rs. 123100- 215900)	Selection

Age limit for direct recruitments	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation	Promotion: Deputy Secretary with five years' regular service in Level 12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix; or Deputy Secretary in Level 12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix with ten years combined regular service in the grades of Deputy Secretary and Under Secretary [Level 11 (Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix], out of which a

minimum of three years should be in the grade of Deputy Secretary.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have completed qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers under the Central or State Government or Union Territories: -

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) Possessing ten years' administrative experience including five years' in parliamentary and legislative functions.

Note: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications)

If a Departmental Promotion Committee exists what is	Circumstances in which Union Public Service
its composition.	Commission to be consulted in making recruitments.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee	Consultation with Union Public Service Commission
consisting of: -	necessary while appointing an officer on deputation.
1. Chairman/Member, Union Public Service	
Commission – Chairman	
2. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs	
–Member	
3. Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs	
-Member	

[F. No. 3 (24)/2016-Admn.]

Dr. SATYA PRAKASH, Jt. Secy.